Carbon Market Watch

#5 March 2013

पारखी नज़र

कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की विचारधाराएँ

संस्करण 5 मार्च 2013

सम्पादकीय

हमारे एन जी ओ की त्रैमासिक पत्रिका पारखी नज़र! कार्बन बाज़ारों पर एन जी ओ की आवाज़ के पहले ऑनलाइन संस्करण में आपका स्वागत है।

कार्बन बाज़ारों में अत्यधिक आपूर्ति व लघुकरण करने की प्रतिवद्धता में कमी होने के बावजूद वर्तमान में देश अतिरिक्त कार्बन बाज़ारों की स्कीमों के विकास में लगे हैं। इसके साथ साथ देश इस बात पर भी विचार कर रहे हैं सी डी एम के आधारभूत नियमों में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। वे आर ई डी डी व अन्य तरीकों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विमानन के स्रावों को कम करने के विषय में भी बातचीत कर रहे हैं। इन सब बदलावों के बीच पुरानी सीखों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मौसम व जनता के लिए वास्तविक लाभों को प्राप्त करने के लिए कार्बन बाज़ारों पर आपकी आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है!

2013 के इस पहले संस्करण में आप सी डी एम की समीक्षा के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम अन्ततः सी डी एम की कुछ मूल समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं। हम इस बात का विवरण भी देंगे कि उभरती हुई राष्ट्रीय स्रावों की व्यापार योजनाओं को क्यों नकल से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक साथ मिलकर हम ई यू के विमानन स्रावों के निर्णय पर सूक्ष्मता से नज़र डालेंगे और यह भी जानेंगे कि यह क्यों ज़रूरी है कि देश एक घेरे में रहते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के माध्यम से इन स्रावों को नियंत्रित करें। हमारे भारत, वियतनाम और पनामा के मेहमान लेखक कार्बन बाज़ारों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत से शुरूआत करके आप सिक्किम के मेगा बाँधों और स्थानीय जनता व मौसम पर उनके प्रभावों के विषय में पढ़ेंगे। आप आंध्र प्रदेश के कल्पावल्ली से भी नवीनतम जानकारी प्राप्त करेंगे जहाँ कि एक समुदाय सी डी एम के प्रोजेक्टों के प्रभावों से अपने रोज़गार को बचाने की जद्दोजहद में लगा है। कहीं से भी पवित्र गाय नहीं हैं में हम देखेंगे कि किस प्रकार स्वाभाविक रूप से पुनः पैदा होने वाले प्रोजेक्टों के लिए यह ज़रूरी है कि वे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करें और क्यों निरंतरता के मौजूद मानदंड धरातल पर सही प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। हम वियतनाम के कार्बन सलाहकार कार्य में बढ़ोत्तरी के पीछे के सत्य पर भी नज़र डालेंगे। अन्त में आप पनामा की स्वदेशी जनता के यू एन आर ई डी डी कार्यक्रम से बाहर निकालने के निर्णय के बारे में भी सुनेंगे।

पारखी नज़र त्रैमासिक रूप में अंग्रेज़ी व हिन्दी में अभियान की नवीनतम जानकारी व दुनिया भर के नज़रियों के साथ निकाला जाता है। यदि आप इसके अगले संस्करण में योगदान देना चाहते हैं तो कृप्या Antonia.Vorner@carbonmarketwatch.org पर सम्पर्क करें और यहाँ here पर आवेदन करें।

2 सी डी एम समीक्षा

3 एमिशन ट्रेडिंग व राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार - पुरानी गल्तियों से सावधान!

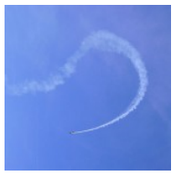

4 दायरे में आने का समय आ गया है! देशों को विमानन से होने वाले स्रावों को कम करना चाहिए

5 कल्पावल्ली समुदाय के अरक्षित वनों को सी डी एम प्रोजेक्टों के द्वारा हानि

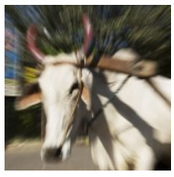

6 भारत में ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से पुनः पैदा होने वाले प्रोजेक्ट : कहीं से भी पवित्र गाय नहीं हैं

7 सिक्किम में मेगा बाँध व सी डी एम की दगा

8 सी डी एम के सलाहकार कार्य की समानान्तर दुनिया : हनोई से एक दृष्टिकोण

9 पनामा के मूल निवासियों द्वारा सही चुनाव

सी डी एम समीक्षा

कोयोटो प्रोटोकॉल के वचनबद्धता की पहली अवधि के समाप्त होने के बाद देशों ने यह तय किया कि इस वर्ष वे क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम)की प्रणालियों व तौर तरीकों का पुनरीक्षण करेंगे। सी डी एम की कार्य प्रणालियों के मूलभूत नियमों में बदलावों को अगले साल से यू एन एफ सी सी सी की इस वर्ष के अन्त में पोलैंड में होने वाली कॉन्फ्रेन्स में अपनाया जाएगा।

ईवा फिल्ज़मोज़र, कार्बन मार्केट वॉच

इसका अर्थ है कि अन्य चीज़ों के साथ सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड, प्रोजेक्ट विकासकर्ता व दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि आजकल इस विषय में अपने विचार एकत्रित करने में लगे हुए हैं कि वे क्या बदलाव देखना चाहते हैं। सी डी एम के अनिश्चित भविष्य के बावजूद हमारा मानना है कि इसके नियमों को निम्न कारणों की वजह से सुधारने की ज़रूरत है:

- इसके नियम अन्य कार्बन बाज़ार प्रणाली के लिए अन्तिम रूप रेखा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सी डी एम कई उभरती हुई स्कीमों के लिए एक आधार है इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि इसके नियम सही तरह से तैयार किए जाएँ और उनमें पर्यावरण व समाजिक अखंडता हो।
- आपूर्ति व मॉग के बीच असंतुलन होने के बावजूद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी मात्रा में केडिट उन पार्टियों द्वारा उपयोग कर लिए जाएँगे जो कि दूसरी अनुबंधित अवधि में भाग लेने की योजना बना रही हैं।
- 6000 से भी अधिक प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं और हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो स्थानीय समुदाय इन प्रोजेक्टों के आसपास निवास कर रहे हैं उन्हें प्रोजेक्ट की अवधि के दौरान अपनी चिंताएँ प्रकट करने का मौका मिले।

सभी राज्य व यू एन संस्थाएँ मानवाधिकार शर्तों से बाध्य हैं जिनके अनुसार मौसम में बदलाव के कार्यों - यहॉ पर सी डी एम प्रोजेक्टों - का नमूना, कार्यान्वन व निरीक्षण इस प्रकार होना चाहिए कि वह मानव अधिकारों का संरक्षण व इज़्ज़त पूरी तरह से करे व इसमें आम आदमी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, भागीदारी व न्याय प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल हो।

यह मानते हुए कि सी डी एम के नियम अभी तक इन सब बातों को पूरा नहीं करते मानवाधिकार व मौसम में बदलाव के कार्यकारी समूह ने नेटवर्क के सदस्यों के सहयोग से एक ज्ञापन तैयार किया है जो इन तीन ज़रूरतों पर ध्यान देने के लिए केन्द्रित है **1** संस्थागत संरक्षण स्थापित करना **2** स्थानीय समुदाय व भद्र समाज को को मज़बूत करना और **3** एक ऐसा मंच प्रदान करना जहॉ स्थानीय भागीदारों की चिंताओं को संबोधित किया जा सके।

आप इसे यहॉ से डाउनलोड कर सकते हैं You can download the document here.

इसके साथ साथ कार्बन मार्केट वॉच व कई अन्य संस्थाओं ने कुछ ऐसी मॉगें रखी हैं जो उन कुछ अन्य बदलावों की ज़रूरतों पर आधारित हैं :

- अतिरिक्तता की ज़रूरतों में मूलभूत सुधार
- उधार की अवधि (केडिटिंग पीरियड को छोटा करना
- यह सुनिश्चित करना कि सभी सी डी एम प्रोजेक्ट मानवाधिकारों का संरक्षण करें
- दीर्घकालिक विकास में सी डी एम के योगदान में सुधार लाना
- सी डी एम की प्रकिया में भद्र समाज की भागीदारी को मज़बूत करना
- डी ओ ई में होने वाले हितों के मतभेदों को सुलझाना
- कुछ विशिष्ट केसों के लिए संचार के माध्यम स्थापित करना
- शिकायतों के लिए एक प्रणाली बनाना
- सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड व अन्य सहायक संस्थाओं के ढॉचे व उनके व्यवहार में सुधार लाना

इस ज्ञापन को आप यहॉ से डाउनलोड कर सकते हैं The submission can be downloaded here.

एमिशन ट्रेडिंग व राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार - पुरानी गल्तियों से सावधान!

यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ई यू ई टी एस) स्रावों के कय विक्रय का सबसे बड़ा अर्न्तराष्ट्रीय बाज़ार है और ई यू की मौसम परियोजना का स्तम्भ। परन्तु यह स्कीम करीब 2 बिलियन टन कार्बन डाय ऑक्साइड की अतिरिक्त आपूर्ति, बहुत कम मॉग व भत्ते के दामों में भारी कमी जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। इसकी पर्यावरण अखंडता के विवादास्पद होने के बावजूद दुनिया भर में ई यू ई टी एस को अन्य एमिशन ट्रेडिंग स्कीम एक आदर्श के रूप में देखती हैं।

एडिला पुटिनेलु, कार्बन मार्केट वॉच

यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ई यू ई टी एस) एक कैप एन्ड ट्रेड स्कीम है जिसमें यूरोप के सबसे बड़े स्राव निकालने वाले **12 000** औद्योगिक संयंत्र शामिल हैं। कैप एन्ड ट्रेड का अर्थ है कि सम्पूर्ण औद्योगिक स्रावों पर एक सीमा या कैप लगा दी जाती है, व्यक्तिगत कम्पनियों को प्रदूषण परमिट दिए जाते हैं जिसका वे कय विक्रय दिए गए मौसम के लक्ष्यों को मानने के लिए कर सकते हैं। सैद्धान्तिक तौर पर एमिशन कैप में कमी से बाज़ार में भी कमी आएगी जिसके फलस्वरूप वह स्राव फैलाने वालों को प्रदूषण कम करने व साफ तकनीकों में निवेश करने के प्रति असंवेदनशील बना देगा।

ढॉचागत समस्याओं का आरम्भ

27 यूरोपियन सदस्य देश व लिचेन्स्टीन, नॉर्वे, आइसलैन्ड व स्विट्ज़रलैन्ड ई यू की कैप एन्ड ट्रेड स्कीम में शामिल हैं। जब इस स्कीम का पहला फेज़ **2005** में शुरू हुआ तबसे ही समस्याएँ दिखनी शुरू हो गई थीं। प्रदूषण परमिटों का ज़रूरत से ज़्यादा आवंटन व कुल मिलाकर स्रावों की सीमा के बढ़ने से इस स्कीम की पर्यावरण अखंडता पर गंभीर चिंताएँ होनी शुरू हो गई थीं। फेज़ **2 (2008-2011)** के दौरान मुद्दे तब और अधिक जटिल हो गए जब स्राव जिस समय उन्हें लगाया गया था तब के स्तर तक गिर गए क्योंकि आर्थिक मंदी (इक्नॉमिक रिसेशन) आ गई थी। हालांकि कम्पनियों को मुफ्त दिए जाने वाले पर्मिटों की संख्या वही रही। यूनाइटेड नेशन के ऑफ्सेटिंग मैकेनिज़्म क्लीन डेवेलपमेन्ट मेकेनिज़्म (सी डी एम) व जॉइन्ट इम्पलिमेन्टेशन (जे आई) के द्वारा दिए जा रहे सस्ते ऑफ्सेट केडिट ने पर्मिटों की बढ़ती आपूर्ति की समस्या को और भी बढ़ा दिया। आजतक भी ई यू ई टी एस में करीब **2** विलियन भत्ते की अतिरिक्त आपूर्ति बनी हुई है। अत्यधिक आपूर्ति का दो तिहाई ऑफ्सेट केडिट के प्रयोग को दिया जा सकता है। इसके नतीजतन ई यू के पर्मिट बहुत नीचे चले गए व वर्तमान में ये करीब **4** यूरो के आसपास हैं।

यूरोपियन कमिशन जो कि स्रावों के इस बाज़ार का प्रबन्धकर्त्ता है, उसने इस स्कीम की विश्वसनीयता को वापस लाने के लिए एक दोहरी योजना बनाई है ताकि कार्बन के घटे हुए दामों को उबारा जा सके। सबसे पहले वह अस्थाई रूप से बाज़ार से **900** मिलियन केडिटों को हटाना चाहता है। इसके साथ साथ लम्बे समय के लिए ई यू ई टी एस में ढॉचागत सुधारों पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें परमिटों को स्थाई रूप से हटाना, स्रावों के स्तर पर लगी सालाना सीमा को कम करना व अर्न्राष्ट्रीय केडिटों के प्रयोग में और ज़्यादा कटौती करना शामिल है।

> ई यू को इससे शुरूआत करके ऑफ्सेटों के नमूने की समस्या को सामने लाना चाहिए। घटिया केडिटों के द्वारा ई यू ई टी एस की पर्यावरण की अखंडता को कम करने से बचने के लिए इसे **2020** से पहले गुणवत्ता की सीमाएँ लगा देनी चाहिएँ।
> अपर्याप्त लक्ष्यों के सही जगहों पर न होने से इसे **2020** के बाद भी अर्न्तराष्ट्रीय ऑफ्सेटों पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि घरेलू कार्यो के द्वारा स्रावों को कम किया जा सके।

दुनिया भर में ई टी एस का विकास

हालांकि ई यू ई टी एस ढॉचागत नमूने सम्बन्धी समस्याओं से जूझ रहा है परन्तु वह संसार भर में उभरती हुई स्रावों के कय विक्रय प्रणालियों के लिए एक आदर्श बन चुका है। जो यूरोप में होता है वह अन्य देशों के उन प्रबन्धकर्त्ताओं के द्वारा बहुत सूक्ष्मता से देखा जाता है जो कि अन्य देशों में इस प्रकार की प्रणालियॉ विकसित करना चाहते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय कैप एन्ड ट्रेड की तरह के कार्बन बाज़ारों वर्तमान में दुनिया भर में विकसित किया जा रहा है। ऐसी कुछ स्कीमों से नीचे आपका परिचय करवाया जा रहा है:

कैलीफोर्निया का कैप एन्ड ट्रेड प्रोग्राम ई यू के बाद सबसे बड़ी कैप एन्ड ट्रेड स्रावों के कय विक्रय की प्रणाली है। ई यू के विपरीत यह वानिकी कार्यो के ऑफ्सेट केडिटों को अनुमति देती है और वर्तमान में यह ब्राज़ील और मेक्सिकों के वन संरक्षण केडिटों को शामिल करने की प्रकिया में लगी है। कैलिफोर्निया आर ई डी डी के बारे में और अधिक यहॉ **here** पर जानें व अगले **पारखी नज़र!** की प्रतीक्षा करें।

दक्षिण कोरिया का कैप एन्ड ट्रेड **2015** में आरम्भ होगा। यह घरेलू कटौतियों की ज़रूरत के महत्व को समझता है और **2020** तक इसने अन्तर्राष्ट्रीय ऑफ्सेटों के प्रयोग पर रोक लगा दी है।

न्यूज़ीलैन्ड के कैप एन्ड ट्रेड पर ऑफ्सेट के असीमित प्रयोग काफी हद तक कार्बन के कम दामों के लिए ज़िम्मेदार भी था। कुछ सी डी एम के प्रोजेक्टों की पर्यावरण अखंडता की कमी को सम्बोधित करते हुए न्यूज़ीलैन्ड ने विशाल हायड्रो पावर प्रोजेक्टों के कार्बन केडिटों पर रोक लगा दी है।

2015 में शुरू होने वाले **आस्ट्रेलिया** के कार्बन का दाम लगाने की प्रणाली ई यू की एमिशन ट्रेडिंग प्रणाली से जुड़ जाएगी। इस कार्य से स्रावों के कय विक्रय के पहले अर्न्तराष्ट्रीय जुड़ाव का भी उदघाटन हो जाएगा। **2018** तक दोनों स्कीमें पूरी तरह जुड़ जाएँगीं और ई यू के भत्ते आस्ट्रेलियन कम्पनियों के द्वारा मान्य होंगे व इसका विपरीत भी होगा।

एमिशन ट्रेडिंग की भूख जो कि कैप एन्ड ट्रेड स्कीम के रूप में देखी जा सकती है दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है। आज तक ये स्कीम इस बात के लिए जानी जाती है कि यह कम्पनी के स्तर पर अनुपालन के दामों को घटाने के लिए मानी जाती है परन्तु यह अपने नमूने में कहीं न कहीं कमियों से ग्रस्त है जिनके परिणामस्वरूप पर्यावरण के निराशाजनक नतीजे दिखाई देते हैं। मौसम के और अधिक महत्वकांक्षी लक्ष्य प्रदूषण परमिटों की बढ़ी हुई आपूर्ति के बोझ को कुछ हल्का करेंगे जो कि सभी कैप एन्ड ट्रेड स्कीमों का एक गुण होता है। जैसे कि ई यू की एमिशन ट्रेडिंग स्कीम संसार में इस तरह की अन्य स्कीमों के लिए एक आदर्श है। ई यू को इससे शुरूआत करके ऑफ्सेटों के नमूने की समस्या को सामने लाना चाहिए। घटिया केडिटों के द्वारा ई यू ई टी एस की पर्यावरण की अखंडता को कम करने से बचने के लिए इसे **2020** से पहले गुणवत्ता की सीमाएँ लगा देनी चाहिएँ। अपर्याप्त लक्ष्यों के सही जगहों पर न होने से इसे **2020** के बाद भी अर्न्राष्ट्रीय ऑफ्सेटों पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि घरेलू कार्यो के द्वारा स्रावों को कम किया जा सके। इससे औरों को भी दायरे में आने का अवसर मिलेगा और कैप एन्ड ट्रेड स्कीम पर्यावरण के लिए असरदार साबित होगी।

दायरे में आने का समय आ गया है! देशों को विमानन से होने वाले स्रावों को कम करना चाहिए

अर्न्तराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था (इन्टरनैशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज़ेशन आई सी ए ओ) का यह अनुमान है कि इस वर्ष वह बाज़ार पर आधारित एक ऐसी प्रणाली पर सहमति लाएगी जो कि विमानन स्रावों को सम्बोधित करेगी। यूरोपियन कमीशन के अपनी उस योजना में देरी के कारण जो अर्न्तराष्ट्रीय उड्डयन को एक साल के लिए एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के अर्न्तगत शामिल करने वाली थी, अब आई सी ए ओ पर दबाव है कि वह उड्डयन का क्षेत्र मौसम में बदलाव की इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाए।

एडिला पुटिनेलु, कार्बन मार्केट वॉच

अर्न्तराष्ट्रीय उड्डयन ग्रीन हाउस गैस के स्रावों का तेज़ी से बढ़ता हुआ एक स्त्रोत है। वर्तमान में यह मौसम के बदलाव में 4। 9 प्रतिशत का योगदान देता है। कोयोटो प्रोटोकॉल ने यह स्पष्ट किया था कि पार्टियॉ एक अनुबन्ध पर पहुँचें जिससे कि उड्डयन स्रावों में आई सी ए ओ के द्वारा कमी आए। 15 वर्षो से भी अधिक समय में आई सी ए ओ केवल उन स्वैच्छिक लक्ष्यों को सामने लेकर आया है जो कि ईंधन बचाने व तकनीकी सुधारों को लेकर आए हैं। वर्तमान में ऐसे कोई कानूनी बंधन नहीं हैं जिनके द्वारा विमानन स्रावों को सम्बोधित किया जा सके।

अर्न्तराष्ट्रीय समाज को अभी ही इसकी आवश्यकता पर ध्यान देना होगा और आई सी ए ओ के तहत मौसम में बदलाव के महत्वाकांक्षी उपाय खोजने होंगे।

आई सी ए ओ की धीमी प्रगति को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम में अर्न्तराष्ट्रीय विमानन को शामिल कर लिया था। इस एकतरफा निर्णय का अमेरिका, चीन, रशिया व भारत ने कड़ा विरोध भी किय था और यूरोपियन यूनियन को उनके साथ व्यापार बाधित करने की धमकी भी दी थी। इसके प्रतिकिया स्वरूप यूरोपियन कमिशनर ने अपने ई यू ई टी एस में ई यू की योजानओं के लिए जिसमें विमानन भी था उसके खिलाफ एक साल का घड़ी रोको अभियान भी चलाया। इसके द्वारा आई सी ए ओ के अर्न्तगत एक अर्न्तराष्ट्रीय समझौते की बातचीत के लिए दबाव दबाव भी पड़ा। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आई सी ए ओ सितम्बर 2013 तक एक अर्न्तराष्ट्रीय समझौते पर निर्णय ले लेगी नहीं तो ई यू अपने शुरूआती योजनाओं के अनुसार ही काम करेगा।

परन्तु अभी भी वह शुरूआती दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि क्या आई सी ए ओ मौसम के बदलाव पर कड़े व ठोस कदम उठाएगा कि नहीं। आई सी ए ओ की उच्च स्तरीय समूह मीटिंगों में जो कि एक अर्न्तराष्ट्रीय समझौते की बातचीत करेंगी उनमें भद्र समाज की संस्थाओं की केवल सीमित भागीदारी रह पाती है। इसके साथ साथ वर्तमान में जो सबसे अधिक मान्य विकल्प चर्चा में है उसका झुकाव एक ऑफ्सेट प्रणाली की ओर है। क्योंकि ऑफ्सेटिंग एक शून्य पर खत्म होने वाला खेल है जहॉ कि स्राव केवल एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इससे जो कुल स्रावों में कमी आनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है वह नहीं आ पाती।

विमानन स्रावों को नियमित करने के अर्न्तराष्ट्रीय तनाव को ई यू के घड़ी रोको विकल्प से बॉधा नहीं जा सका। अमरीकी कॉग्रेस ने सर्वसम्मति से एक नियम लागू किया जो ई यू के भविष्य में विमानन स्रावों के कार्यो के विषय में है जिसमें कि अर्न्तराष्ट्रीय हवाई जहाज भी आते हैं। हाल में भारत ने यह घोषणा की कि वह एक अर्न्तराष्ट्रीय बाज़ार प्रणाली की योजना का विरोध करता है। उसने कहा कि पहले देशों को एक ऐसे ढॉचे के साथ सामने आना चाहिए जो कि आपसी समझौते से लिया गया हो और उसके बाद ही उसे कार्यान्वित करने के तरीकों पर चर्चा होनी चाहिए। आई सी ए ओ की विमानन स्रावों को रोकने के अर्न्तराष्ट्रीय समझौते को प्रदान करने की क्षमता पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा ही है।

जबकि ई यू के अर्न्तराष्ट्रीय विमानों को अपनी ई यू ई टी एस स्कीम में शामिल करने के एक तरफा निर्णय की जम कर निन्दा हुई आई सी ए ओ के तहत निर्णय भी राजनैतिक व्यवहारिता के अधीन ही लिया जाएगा। हालांकि जो कुछ भी आई सी ए ओ के 193 सदस्य देशों के लिए राजनैतिक तौर पर व्यवहारिक होगा वह शायद एक तेज़ी से बढ़ते हुए क्षेत्र के स्रावों को रोकने व मौसम में भयंकर बदलाव को टालने के लिए काफी न हो।

युनाइटेड नेशन फेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेन्ज के तहत कोयोटो के स्थान पर नए प्रोटोकॉल को लाने का निर्णय 2015 तक हो जाना चाहिए। अनुमान है कि विकासशील देश कानूनी रूप से मान्य अनुबंधों को विकसित देशों के साथ मिलकर मौसम में बदलाव का सामना करेंगे। अर्न्तराष्ट्रीय समाज को अभी ही इसकी आवश्यकता पर ध्यान देना होगा और आई सी ए ओ के तहत मौसम में बदलाव के महत्वाकांक्षी उपाय खोजने होंगे।

भद्र समाज की विमानन व मौसम बदलाव पर कार्यशाला - नई दिल्ली, मई 2013

द ब्रेड फॉर द वर्ल्ड (BfdW) व Indian Network on Ethics and Climate Change एक दो दिवसीय कार्यशाला आयेजित कर रही है ताकि भद्र समाज के चुनिंदा लोगों के लिए विमानन और मौसम में बदलाव के अर्न्तराष्ट्रीय संदर्भ के विभिन्न पहलुओं की चर्चा के लिए जगह बनाई जा सके। अधिक जानकारी के लिए कृप्या सम्पर्क करें siddharth.dsouza@gmail.com

कल्पावल्ली समुदाय के अरक्षित वनों को सी डी एम प्रोजेक्टों के द्वारा हानि

नल्लाकोंडा विंड पावर प्रोजेक्ट Nallakonda Windpower project से पास के कल्पावल्ली क्षेत्र में नकारात्मक सामाजिक व पर्यावरण प्रभाव पड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने इस प्रोजेक्ट के मुद्दों को भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (डी एन ए), ऑंध्र प्रदेश सरकार, विंड एनर्जी कम्पनी, यू एन एफ सी सी सी व सी डी एम प्रोजेक्ट ऑडिटरों (डी ओ ई) के समक्ष उठाया। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट यू एन एफ सी सी सी के पुनरीक्षण में है और कल्पावल्ली के वन व जीवन भारत के ग्रीन ट्राइब्यूनल पर अपने अधिकारों के लिए दस्तक दे रहे हैं।

चित्र : टिम्बकटू कलेक्टिव के सौजन्य से

डॉ लीना गुप्ता
सीनियर साइन्टिस्ट, सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ वेस्टलैन्ड डेवेलपमेन्ट, नई दिल्ली

स्थानीय संस्थाओं के अथक प्रयासों के कारण कल्पावल्ली क्षेत्र जो कि पिछले 30 वर्षों से उजाड़ पड़ा था एक बार फिर से हरा भरा हो गया है। इन वर्षों में कई संस्थाओं व राष्ट्रीय सत्ताधारियों ने पर्यावरण को पुर्नजीवित करने के प्रयासों में सहयोग दिया है participatory community forest सामुदायिक वन संयुक्त वन प्रबन्धन, जलविभाजक विकास (वॉटरशेड डेवेलपमेन्ट) और वन पर आधारित जीविका के निर्माण का एक आदर्श नमूना बन कर सामने आया है। इस क्षेत्र को नीमा पाठक बूम की सी सी ए डायरेक्टरी ऑफ इन्डिया में बायोडाइवर्सिटी में प्राकृतिक पर्यावरण सम्पन्न सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र (कम्यूनिटी कन्सर्वड) एरिया के रूप में मान्यता भी दी गई है।

यू एन एफ सी सी सी के तहत किए जाने वाले प्रयासों को सी बी डी की वचनबद्धता या स्थानीय सही विकास का विरोध नहीं करना चाहिए।

पिछले साल इस क्षेत्र में एक 50।4 मेगावॉट के विंड फार्म की स्थापना हुई थी जिसके कारण वनस्पतियों और जलविभाजक क्षेत्रों को नुकसान पहुँचा था और पहाड़ियों में भूमि कटाव भी देखा गया था। इसके कारण स्थानीय रोज़गार में बाधा आई है। यह प्रोजेक्ट अब सी डी एम के अर्न्तगत कार्बन केडिट के लिए पंजीकरण की प्रार्थना कर रहा है। परन्तु इस प्रोजेक्ट के न केवल नकारात्मक स्थानीय प्रभाव negative local impacts हैं वरन् यह अतिरिक्त भी नहीं है क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट भारत में एक सामान्य चलन हैं। इसके साथ साथ इसके लिए स्थानीय जनता से भी ठीक से राय नहीं ली गई। यह प्रोजेक्ट वर्तमान में यू एन एफ सी सी सी के पुनरीक्षण में है और हम सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड से निवेदन करते हैं कि इसे इन मुद्दों के कारण निरस्त कर दिया जाए।

चित्र : टिम्बकटू कलेक्टिव के सौजन्य से

इसी समय कल्पावल्ली सी बी ओ टिम्बक्टू कोलैक्टिव Timbaktu Collactive व एस पी डब्लू डी, नई दिल्ली SPWD New Delhi ने ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑफ इन्डिया में एक जन याचिका दायर की है। हमारे प्रयासों मज़बूती को एक जनता के लिए जागरूकता अभियान जो कि ख़राब तरह से कार्यान्वित स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाले प्रोजेक्टों (badly implemented renewable projects) के संभावित नकारात्मक प्रभावों को उजागर करेगा उससे मिलेगी।

प्रोजेक्ट एक बार फिर यह दिखा देता है कि स्थानीय रोज़गार व बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा protect local livelihoods and biodiversity के लिए मज़बूत संरक्षण व मार्ग दर्शन की आवश्यकता है। यू एन एफ सी सी सी के तहत किए जाने वाले प्रयासों को सी बी डी की वचनबद्धता या स्थानीय सही विकास का विरोध नहीं करना चाहिए। इसके विषय में अधिक आप **पारखी नज़र!** के अगले संस्करण में पढ़ सकते हैं।

भारत में ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाले प्रोजेक्ट : कहीं से भी पवित्र गाय नहीं हैं

भारत संसार के सबसे बड़े सी डी एम मेज़बान देशों में से एक है। यहाँ 2000 से भी अधिक सी डी एम प्रोजेक्ट या तो पंजीकृत हैं या फिर उनके वैधीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इन प्रोजेक्टों में से 800 से भी ज़्यादा विंड पावर प्लांट हैं, 396 बायोमास प्रोजेक्ट हैं, 247 हायड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं और 129 सौर पावर प्रोजेक्ट है।

फाल्गुनी जोशी, गुजरात फोरम ऑन सी डी एम

इन प्रोजेक्टों ने भारत को एक विकासशील देश होने के कारण अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। सी डी एम प्रोजेक्टों के कार्यान्वन पर उठे कई प्रश्न अभी भी खुले हए हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है कि क्या वास्तव में ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाले प्रोजेक्ट पर्यावरण व समाज को नुकसान नहीं पहुँचाते क्या पर्यावरण व सामाजिक आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव केवल सकारात्मक होते हैं और एक भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता

सी डी एम प्रोजेक्ट के एक बार पंजीकृत होने के बाद जो एक फॉलो अप प्रक्रिया की जाती है वह होती है स्रावों में कमी की जॉच करना। यू एन के नियमों के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट के कार्यान्वन के दौरान होने वाले सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव वैधीकरण के अर्न्तगत नहीं आते हैं। सी डी एम प्रोजेक्टों के प्रभावों को अच्छी तरह समझने के लिए गुजरात फोरम ऑन सी डी एम ने प्रोजेक्टों के दस्तावेज़ों का विश्लेषण करके उनकी तुलना भारत के चुने हुए सी डी एम प्रोजेक्टों में फील्ड में जाकर वहॉ की वास्तविक स्थितियों से की। चुने हुए प्रोजेक्टों में सौर (सोलर) , हवा (विंड) और जैविक ईंधन (बायोमास) से सम्बन्धित ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाले प्रोजेक्ट शामिल थे।

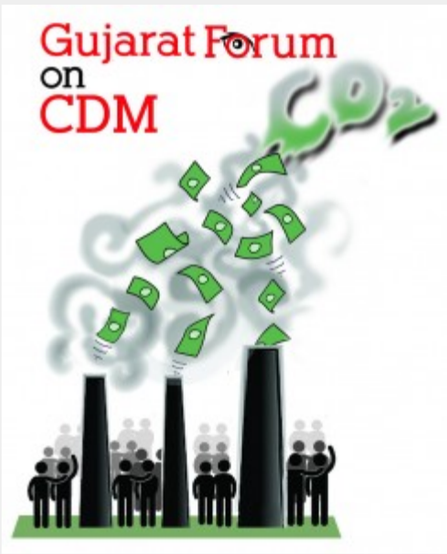

गुजरात फोरम ऑन सी डी एम पर्यावरण के मुद्दों पर काम कर रहे व्यक्तियों व संस्थाओं का एक समूह है। यह भारत में Carbon Market Watch Network's का केन्द्र बिन्दु भी है। यह फोरम विशेष रूप से गुजरात, भारत में सी डी एम के प्रोजेक्टों व उनके विकास का निरीक्षण करता है।

सी डी एम प्रोजेक्टों के दीर्घकालिक विकास की वास्तविकता

यह एक सामान्य समझ है कि दीर्घकालिक विकास वह होता है जो समाज के सभी वर्गों के विकास में सहायक होता है व उससे सभी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। वह वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ प्रकृति को भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षित भी रखता है।

हालांकि हमने अपने सी डी एम के फील्ड में दौरों में देखा कि दीर्घकालिक विकास के भारतीय मनोनीत अधिकारियों (इन्डियन डेज़िगनेटिड अथौरिटी) द्वारा उजागर किए सी डी एम प्रोजेक्टों के दीर्घकालिक विकास में योगदान के लिए मान्य लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। चार मुख्य मानदन्ड हैं सामजिक, आर्थिक, तकनीकी व पर्यावरण लाभ।

जो हमने पाया वह स्थिति को इसके बिल्कुल विपरीत दिखा रहा था! उदाहरण के लिए सी डी एम विंड पावर प्रोजेक्ट से घिरे हुए होने के बावजूद सूरजबाड़ी क्षेत्र का एक गॉव (गुजरात के कच्छ क्षेत्र में) अभी भी अंधकार में डूबा हुआ है क्योंकि विंड फार्म केवल ग्रिड को ही ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं।

हमारी खोजें इस बात को जोर शोर से सामने लाती हैं कि ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाले प्रोजेक्ट कहीं से भी ऐसी पवित्र गाय नहीं हैं जैसा कि बना कर उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है।

दूसरा उदाहरण गुजरात राज्य के अमरेली ज़िले के शियालबेत गॉव का है जहॉ कि अंधेरा छाया हुआ है। यह एक छोटा सा द्वीप है जिसे कि अब भी बिजली के बगैर रहना पड़ रहा है। यह गॉव सौर व हवा दोनों से ही बिजली बनाने में सक्षम है परन्तु किसी भी प्रोजेक्ट के प्रस्तावक के इस विकल्प में कोई रूचि नहीं दिखाई है। इससे स्थिति एकदम स्पष्ट है - प्रत्येक प्रोजेक्ट केवल कार्बन केडिट कमाना चाहता है और दीर्घकालिक विकास के विषय में नहीं सोचना चाहता।

स्थानीय जनता व पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए ज़रूरतों की कमी

1996 के पर्यावरण सुरक्षा कानून (एन्वायरॉन्मेन्ट प्रोटेक्शन एक्ट एन्वायरॉन्मेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट ई आई ए) की अधिसूचना, 2006 के अनुसार सौर व हवा ऊर्जा प्लांटों को एन्वायरॉन्मेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि प्रोजेक्टों को सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन भी नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि वह ई आई के साथ जुड़ी हुई प्रकिया है। हालांकि इस लूप होल के होते हुए वास्तविक नुकसान का अनुमान लगाना असंभव होता है क्योंकि सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन के अभाव में इन प्रोजेक्टों के कारण स्थानीय समुदायों को होने वाली समस्याओं को कभी देखा ही नहीं जाता।

शुरूआती अनुसंधानों से नतीजे काफी परेशान करने वाले हैं। ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाले प्रोजेक्ट भी जो कि हमारी भविष्य की ऊर्जा आपूर्ति के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें भी पर्यावरण व सामाजिक रूप से मान्य तरीकों से ही आगे ले जाना चाहिए। हमारी खोजें इस बात को जोर शोर से सामने लाती हैं कि ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से पुन: पैदा होने वाले प्रोजेक्ट कहीं से भी ऐसी पवित्र गाय नहीं हैं जैसा कि बना कर उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है।

सिक्किम में मेगा बॉध व सी डी एम की दगा

जितेन युमनाम, सेन्टर फॉर रिसर्च एन्ड एडवोकेसी, मणीपुर

सिक्किम राज्य भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय की तलहटी में बुरांश की भूमि है, जहॉ की नदियों को पिछले दशक में आक्रामक तरीके से अवरूद्ध किया गया है। बॉधों का विकास करने वाले इन प्रोजेक्टों को ऊर्जा के साफ स्त्रोतों की तरह कार्बन केडिट के रूप में यू एन के सी डी एम से अतिरिक्त लाभ लेने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पन्द्रह से ज़्यादा मेगा हायड्रो प्रोजेक्ट सिक्किम में जहॉ कि हायड्रो पावर एक सामान्य प्रचलन है, वहॉ अभी कार्बन केडिट प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से कई गलत निर्णयों को वापस लेना चाहिए व आगे किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए।

500 मेगावॉट का टीस्टा 6 प्रोजेक्ट Teesta VI project लैन्को एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का एक हायड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि दक्षिण सिक्किम के सुविन खोर गॉव में टीस्टा नदी पर स्थित है। इसी नदी पर 1200 मेगावॅट का टीस्टा 3 प्रोजेक्ट Teesta III project जो कि भारत के सबसे बड़े हायड्रो पावर प्रोजेक्टों में से एक है वह भी स्वयं को सी डी एम के अर्न्तगत पंजीकृत कराने का प्रयत्न कर रहा है। यू एन एफ सी सी सी को बरगलाने वाली एक तस्वीर प्रस्तुत करके सी डी एम के गलत लाभ उठाने की मंशा से टीस्टा 3 और टीस्टा 6 दोनों प्रोजेक्ट स्पष्टत: अतिरिक्त नहीं हैं। वे सामान्य चलन की ही तरह हैं क्योंकि भारत में उत्तर पूर्व के सभी पावर प्लांट हायड्रो पावर स्टेशन ही हैं। इसके साथ साथ न तो साझेदारों की परिचर्चा में और न ही जनता की सुनवाई में प्रोजेक्ट विकाकर्त्ताओं ने यह स्पष्ट किया कि ये प्रोजेक्ट सी डी एम के केडिट लेने की योजना बना रहे हैं। यह सी डी एम के अर्न्तगत आवश्यक साझेदारों की परिचर्चा की प्रकिया को दोषपूर्ण बना देती है। सौभाग्यवश अभी भी ये दोनों प्रोजेक्ट सत्यापन की स्थिति में हैं और इनसे अभी तक कोई कर्बन केडिट अर्जित नहीं किए गए हैं।

सिक्किम के बॉध हरे व साफ नहीं हैं व यदि उनसे अर्जित केडिटों को स्रावों में कमी के दायित्व के लिए प्रयोग किया गया तो वे ग्लोबल वॉर्मिंग को बदतर ही बनाऍंगे।

हालांकि लेपचा लोगों के अपनी भूमि पर अधिकार को मान्यता न देने व उन्हें पवित्र टीस्टा नदी पर बॉध बनाने की प्रकिया से अलग रखना एक मुद्दा बना हुआ है। लेपचा लोगों की उनकी पवित्र नदी टीस्टा व उनकी अन्तिम सुरक्षा ज़ोन्गु को बचाने की इच्छा का भी पूरी तरह से निरादर किया गया है। प्रोजेक्ट के लिए किए गए निर्माण कार्यों में हुए विस्फोटों से पहाड़ों में कई स्थानों पर भूमि खिसकने और बॉध के स्थान के नज़दीक कई घरों को नुकसान पहुँचा है। ई आई ए के एक सम्पूर्ण विश्लेषण से जिसमें पर्यावरण, भूकंप का प्रभाव, प्रसार लाइनों, वहाव में कमी के प्रभाव और लेपचा लोगों पर विस्फोट आदि से हुए प्रभावों को नदारद रखा गया है।

सिक्किम के अन्य विशाल हायड्रो प्रोजेक्टों जिसमें कि 96 मेगावॅट का जोरेथांग लूप प्रोजेक्ट Jorethang Loop project जो कि डान्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का रंगित नदी पर एक प्रोजेक्ट है पहले से ही सी डी एम के पंजीकृत प्रोजेक्ट हैं। ये अब गैर अतिरिक्त कार्बन केडिट अर्जित कर रहे हैं। पंजीकरण कराने के लिए कई अन्य प्रोजेक्ट भी कतार में खड़े हुए हैं। वे प्रोजेक्ट स्राव उस तुलना में कम नहीं करते यदि वे सी डी एम के बगैर भी चल रहे होते व दीर्घकालिक विकास में भी वे कोई योगदान नहीं देते हैं (यहॉ विरोधाभास है!) । इसलिए सी डी एम एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड के द्वारा इन्हें भी नकार दिया जाना चाहिए।

उपसंहार व सुझाव

अर्न्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय योजनाऍं सी डी एम प्रोजेक्टों व उनके प्रभाव के मूल्यांकन के लिए बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। विकासकर्त्ताओं के सहमति के मानदंडों की स्वतन्त्र जॉच के लिए कोई भी विश्वसनीय आधार नहीं है। एक Wikileaks cable के अनुसार एन सी डी एम ए NCDMA वास्तव में दीर्घकालिक विकास और अतिरिक्तता के लिए प्रोजेक्टों का मूल्यांकन नहीं करता। वास्तव में अनुभव ने यह दिखाया है कि भारत में डी एन ए व यू एन एफ सी सी सी करीब करीब सभी प्रोजेक्टों को मंजूरी दे देते हैं तब भी जब उनके खिलफ विश्वसनीय सूत्रों के अविरोधित सबूत भी मौजूद हों।

सिक्किम व भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के अन्य भागों में हायड्रो पावर प्लांट एक सामान्य प्रथा है व वर्तमान में कार्बन के दामों को देखते हुए भी प्रोजेक्ट कार्बन केडिटों पर आर्थिक मज़बूती के लिए निर्भर नहीं करते। सिक्किम के बॉध हरे व साफ नहीं हैं व यदि उनसे अर्जित केडिटों को स्रावों में कमी के दायित्व के लिए प्रयोग किया गया तो वे ग्लोबल वॉर्मिंग को बदतर ही बनाऍंगे। इसके साथ साथ वे हज़ारों लोगों की जीविका के सहारे की कमर भी तोड़ कर रख देंगे। बॉधों के अधिकतर प्रोजेक्ट वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम्स (डब्लू सी डी World Commission of Dams (WCD) व यू एन कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिसक्रिमिनेशन UN Committee on Elimination of Racial Discrimination 2007 के सुझावों की अनदेखी करते हैं जिसके तहत भारत के उत्तर पूर्व North East में बॉधों के निर्माण में सामान्य जनता के अधिकारों की इज़्ज़त होनी चाहिए। सिक्किम व भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के सी डी एम के सभी बड़े बड़े प्रोजेक्टों के सत्यापन व पंजीकरण को इसलिए रद्द कर देना चाहिए और नए पंजीकरण भी बन्द कर देने चाहिऍं। सिक्किम में सामान्य जनता के अधिकारों को विकास की सभी योजनाओं व प्रोजेक्टों में मान्यता मिलनी चाहिए। सिक्किम व हायड्रो प्रोजेक्टों पर और अधिक जानकारी के लिए कृप्या http://weepingsikkim.blogspot.in/ और www.actsikkim.com देखें।

सी डी एम के सलाहकार कार्य की समानान्तर दुनिया : हनोई से एक दृष्टिकोण

होआंग काऊ, हनोई में कूड़े का ढेर (हनोई में प्रदर्शित विपरीतता) से लिया गया

मातिज्स स्मिट्स, सिडनी विश्वविद्यालय में पी एच डी अभ्यर्थी व एम पावर अनुसंधानकर्त्ता

वियतनाम में पिछले कुछ वर्षों में सी डी एम के हायड्रो पावर प्रोजेक्टों में बहुत तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई है जो कि देश में बिजली की तेज़ी से बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरी करने के कारण है। 1 मार्च 2013 को वियतनाम में 169 पंजीकृत सी डी एम हायड्रो पावर प्रोजेक्ट थे और 16 हायड्रो पावर प्रोजेक्टों में पूरा करने के चेक किए जा रहे थे व 4 सत्यापन की स्थिति में थे। इस छोटे से लेख में मैं उन साक्षात्कारों से मिले कुछ विचारों को रखूँगा जो कि मैंने पिछले वर्ष अक्टूबर में हनोई में किए थे जो कि एक अनुसंधान फेलोशिप का भाग हैं जो मिकॉग क्षेत्र में सी डी एम व जल संचालन के सम्बंधों के विषय में है।

मेरे लिए एक कार्बन अर्थव्यवस्था से बाहर का व्यक्ति होने की हैसियत से सबसे मुख्य बात थी सी डी एम की सलाहकार कम्पनियों का सी डी एम के चक्र में महत्व। अक्टूबर में वियतनाम के हायड्रो पावर प्रोजेक्टों से 29 अलग अलग सलाहकार जुड़े हुए थे जिसमें से सबसे बड़े 10 करीब 85 प्रतिशत प्रोजेक्टों से संलग्न थे। इनमें से कुछ स्थानीय सलाहकार संस्थाएँ थीं परन्तु अधिकतर बड़ी अर्न्तराष्ट्रीय कम्पनियाँ थीं या संलग्न व्यवसाय में लगी हुई कम्पनियाँ। वियतनाम सरकार की भूमिका इस सब में न्यूनतम है और डी एन ए के केवल कुछ ही अधिकारी हैं जिन्हें विशिष्ट तकनीकी जानकारी भी नहीं है। हालांकि सरकार की सत्ता इन प्रोजेक्टों को मंजूरी देते समय एक चौकीदार की तरह ज़रूर होती है। मुझे पता चला कि किसी सलाहकार संस्थान में ऐसे डायरेक्टर का होना जिसके कि सरकार से अच्छे सम्बन्ध रहे हों (विशेषकर वे जो पूर्व में उच्च पद के सरकारी अफसर रहे हों) अधिक प्रोजेक्ट प्राप्त करने में मदद करता है।

साथ साथ अधिकतर प्रोजेक्ट जिनमें अतिरिक्त होने का दम खम है भी और जो दीर्घकालिक विकास में योगदान दे सकते हैं उन पर आम व्यवसाय वाले हायड्रो पावर प्रोजेक्ट हावी हो जाते हैं।

कई सलाहकार जिनसे मैंने बातचीत की वे सी डी एम प्रोजेक्टों की अतिरिक्तता व दीर्घकालिक विकास को लेकर काफी मुँहफट थे। कुछ ने बगैर शर्मिंदगी के इस बात पर गर्व करते हुए यह तक बताया कि अतिरिक्तता को तय करना उनका काम है व उसे प्राप्त करने के कई तरीके हैं। वे सी डी एम के दीर्घकालिक विकास में योगदान को लेकर भी काफी असमंजस में थे, खासकर यह देखते हुए कि वियतनामी कानून में दी गई ज़रूरतों के अतिरिक्त इस प्रकिया की कोई अन्य आवश्यकताएँ नहीं हैं। एक सलाहाकार को तो यहाँ तक पता चला कि अनिवार्य स्थानीय चर्चा के दौरान भी किसी को प्रकिया की जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। मुझे अभी तक जो लाभ दिखाई दिया है वह है बढ़ी हुई पारदर्शिता का। हालांकि सी डी एम के दस्तावेज़ केवल अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध हैं (यू एन एफ सी सी सी की आधिकारिक वेबसाइट पर) न कि वियतनामी भाषा में (और न ही ये आम बोलचाल की भाषा में लिखे हुए!)

ऊपर दिए हुए सभी निरीक्षणों के बाद मुझे वियतनाम में सी डी एम का परिदृश्य एक समानान्तर दुनिया की तरह दिखाई दिया। हनोई की बहुमंजलीय इमारातों में से एक में किसी सलाहकार के वातानुकूलित दफ्तर में जाकर मुझे वास्तव में ऐसा ही लगने लगा था। यह सब उन सामान्य वियतनामी लोगों से कोसों दूर था जो कि वियतनाम की बढ़िया आर्थिक प्रगति में अपना हिस्सा पाने के लिए रोज़ संघर्ष करने में लगे हैं। मैं सलाहकार कम्पनियों को दोष नहीं देना चाहूँगा जो कि नए बने इस विशिष्ट बाज़ार से लाभ कमाने में लगी हैं। हालांकि, दुख भरा कटु सत्य यह भी है कि यदि उनके अच्छे व होशियार अधिकारी चाहते तो वे अर्न्तराष्ट्रीय कार्बन स्रावों को कम करने में अर्थपूर्ण योगदान दे सकते थे और वियतनाम में दीर्घकालिक विकास में बढ़ोत्तरी कर सकते थे, परन्तु वर्तमान प्रणाली उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। साथ साथ अधिकतर प्रोजेक्ट जिनमें अतिरिक्त होने का दम खम है भी और जो दीर्घकालिक विकास में योगदान दे सकते हैं उन पर आम व्यवसाय वाले हायड्रो पावर प्रोजेक्ट हावी हो जाते हैं।

अब जब केन्द्र कम्बोडिया, लाओस व म्यांमार जैसे सबसे कम विकसित देशों जिनकी कि अपार हायड्रोपावर क्षमता है उनकी ओर बढ़ रहा है तो वियतनाम व अन्य स्थानों से मिली सीखों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस अध्ययन की अन्तिम रिपोर्ट जिसमें कि विस्तार से मामले का पता लगाया जाएगा व वियतनाम से एक स्थानीय केस स्टडी इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध हो जाएगी।

पनामा के मूल निवासियों द्वारा सही चुनाव

वारो ब्लैंको हायड्रो डैम से ख़तरे में वन, चित्र ऑस्कर जी सोगैनदेयर्स के सौजन्य से

ऑस्कर जी सोगैनदेयर्स, प्रवक्ता Asociación Ambientalista de Chiriquí

पिछले महीने द कोओरडिनेशन ऑफ इनडिजिनस पीपल्स ऑफ पनामा(सी ओ ओ एन ए पी आई पी) जो कि पनामा के सात स्वदेशी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने पनामा के यू एन आर ई डी डी प्रोग्राम से *UN REDD Programme* समर्थन वापस ले लिया। यू एन को लिखे एक पत्र में *letter to the UN* सी ओ ओ एन ए पी आई पी ने समझाया है कि यू एन आर ई डी डी वर्तमान में स्वेदेशी अधिकारों की इज़्ज़त की कोई गारंटी नहीं देता ताकि पनामा के मूल निवासियों की पूरी व कारागर भागीदारी हो सके । विडम्बना यह है कि यू एन आर ई डी डी ने हाल में *Guidelines on Free, Prior and Informed Consent* भी निकाला है।

सी ओ ओ एन ए पी आई पी का पनामा में आर ई डी डी + प्रकिया के साथ अनुभव यह स्पष्ट कर देता है कि यू एन की एजेंसियों , मूल निवासियों के प्रतिनिधी संस्थाओं व सरकार के खिलाड़ियों के साथ सहभागिता को सुधारने की सख्त ज़रूरत है। सरकारी व यू एन एजेसिंयों को स्वदेशी जनता के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने की आवश्यकता है जिससे वह क्षेत्र भी कानूनन दायरे में आ जाएँ जो अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हैं व दुनिया भर में स्वदेशी जनता की प्रतिनिधि संस्थाएँ मज़बूत बन सकें।

सरकारी व यू एन एजेसिंयों को स्वदेशी जनता के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने की आवश्यकता है जिससे वह क्षेत्र भी कानूनन दायरे में आ जाएँ जो अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हैं व दुनिया भर में स्वदेशी जनता की प्रतिनिधि संस्थाएँ मज़बूत बन सकें।

आर ई डी डी+ मूल निवासियों के लिए बेहतर सामाजिक व पर्यावरण लाभ लाने में कामयाब हो सकती है या फिर स्वदेशी क्षेत्रों व भूमि के कानूनी सुरक्षा के लिए ख़तरे का कारण भी बन सकती है। स्रावों में कमी व संरक्षण प्रोजेक्टों के साथ हुए अनुभव यह दिखाते हैं कि मूल निवासियों को अक्सर उनकी ज़मीन से दूर कर दिया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से अलग न की जा सकने वाली सामूहिक जायदाद होती है। मूल क्षेत्रों में विदेशी सरोकारों की वजह से भूमि हड़पना व उस ज़मीन पर सीमित पहुँच होना जो कि कभी अपने लोगों के लिए भोजन उगाने के लिए प्रयोग होती थी, हो सकता है। उसी स्थान पर यू एन के गलियारों में हम एक दोहरी परिचर्चा सुनते हैं जहाँ कि कार्बन डाय ऑक्साइड स्रावों को कम करने की ज़रूरत के लिए वन कटान व वन अवक्रमण की बात की जाती है। इसके साथ साथ मूल वनों के विशाल हिस्सों को सी डी एम के स्राव कम करने के प्रोजेक्टों के नाम पर ख़ुशी ख़ुशी नष्ट कर दिया जाता है जैसा कि वारो ब्लांको हायड्रो डैम प्रोजेक्ट Barro Blanco hydro dam project में हुआ। यह एक अशुभ उदाहरण है जो कि बड़े व्यापार को बढ़ावा देता है जिन्हें कि गलत कार्बन केडिट प्राप्त हैं जबकि मूल निवासी जो कि हज़ारों सालों से इन वनों व प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा कर रहे हैं उन्हें एक धेला भी देकर प्रोत्साहित नहीं किया जाता।

20 जून 2012 को लिखे गए एक पिछले पत्र में previous letter सी ओ ओ एन ए पी आई पी इस मुद्दे को सामने लाया है यदि हमें उस प्रकिया में जो अभी शुरू हो ही रही है इतनी समस्याएँ हो रही हैं व शामिल एजेंसियाँ जिस प्रकार से व्यवहार कर रही हैं वह मूलत: उन सिद्धान्तों के साथ मेल नहीं खाता जो आर ई डी डी के लिए प्रयुक्त होते हैं। हम तव क्या उम्मीद कर सकते है जब कि आर ई डी डी कार्यनीति कार्यान्वित होने के लिए आरम्भ हो रही हो

सम्पादक का नोट : हाल में यू एन आर ई डी डी कार्यक्रम ने पनामा में उसके कार्यों के स्वतन्त्र मूल्यांकन को आरम्भ किया है।

कृप्या देखें : www.un-redd.org/UNREDD_Launches_Panama_NP_Evaluation_EN/tabid/106063/Default.aspx